न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–106 / 2017
वाद प्रस्तुति दिनांक–06.07.2017
निर्णय दिनांक–30.08.2022

1. जगदीश पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
2. रामफूल पुत्र छोगा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. श्योजीराम पुत्र छोगा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
4. कैलाशी पुत्री छोगा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
5. सीता पुत्री छोगा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
6. भंवरलाल पुत्र रंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

वादीगण

बनाम

1. बन्ना पुत्र बिज्या जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
2. राकेश पुत्र हरिनारायण जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. रामप्रसाद पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
4. गोपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
5. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम अलीनगर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
6. सूरज पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी ग्राम अलीनगर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
7. शंकर पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी ग्राम अलीनगर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
8. देवकरण पुत्र प्रहलाद जाति जाट निवासी ग्राम अलीनगर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
9. सीताराम पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
10. गिर्राज पुत्र धन्ना जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
11. गोपाल पुत्र बदरी जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
12. जगदीश पुत्र विजयलाल जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
13. गोपाल पुत्र विजयलाल जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
14. हरि पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
15. कमल पुत्र बन्ना जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
16. शंकर पुत्र नानगा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

17. श्योजी पुत्र नानगा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
18. रामलाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
19. बदरी पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
20. हनुमान पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
21. जीतराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
22. पोलू पुत्र सूजा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
23. राधेश्याम पुत्र सूजा जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
24. प्रधान पुत्र रामजीवन जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
25. मुकेश पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
26. फून्दा पुत्र रामजीवन जाति जाट निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.)
27. अधिशाषी अभियन्ता (मासी बांध) सिविल लाईन टोंक
28. तहसीलदार पीपलू

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 26–श्री राजाराम चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 27–अनुपस्थित
प्रतिवादी संख्या 28–स्वयं उपस्थित

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
राज0टि0एक्ट की धारा 92–ए, 188 के तहत् वादपत्र

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अनुसार भूमि आराजी ख0न0 664 रकबा 01–06 बीघा, ख0न0 674 रकबा 01–13 बीघा वाके ग्राम नोरंगपुरा पटवार हल्का नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका अंकन खाता संख्या 175 वाके ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जमाबंदी संवत् 2070–73 में हो रखा हैं। जिसके वादीगण तन्हा रिकॉर्डेड गेर खातेदार काबिज काश्तकार मालिक, स्वामी है। वादीगण उपरोक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक, स्वामी, गैरखातेदार के कदीम से काबिज चले आ रहे हैं और वादीगण अपनी जमीन को बहैसियत गैर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर भूमि को काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण का दूर का भी कोई संबंध व सरोकार नहीं है। किन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कमजोर होने व प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की उक्त भूमियों में उसके कब्जे काश्त में मजामहत करते है तथा आये दिन वादीगण से बिना किसी कारण के लडाई झगडा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

करते है। वादीगण की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात में फसल काश्त करने, बोने, काटने व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाये कि वे वादीगण की उक्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे। फसल काश्त करने, काटने व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादीगण को पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण को अपार, अपरिमित, अकथनीय हानि होगी। मौके पर झगडे होगे। कई प्रकार की दुकदमेबाजी बढ़ेगी। वादीगण अपने जायज हक से महरूम हो जायेगे। प्रतिवादीगण वादीगण को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करने में कामयाब हो जायेगे। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जाकर प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाये वे स्वयं जरिये नौकर, रिश्तेदार या अन्य दीगर व्यक्ति के वादीगण की तन्हा गैर खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 01–06 बीघा, ख0न0 674 रकबा 01–13 बीघा वाके ग्राम नोरंगपुरा पटवार हल्का नोरंगपुरा में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे तथा वादीगण को उक्त भूमि में फसल काश्त करने, काटने, उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी ने वकालतनामा व जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात के वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार या काबिज काश्तकार नहीं है। यह भूमि मासी बांध की भूमि हैं। जिससे वादीगण का कोई लेना देना या संबंध सरोकार नहीं है। वादीगण के नाम जमाबंदी में गैरखातेदारी का अंकन नाजायज रूप से किया हुआ है। जबकि भूमि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण रिट याचिका के निर्णय अब्दूल रहमान के परिप्रेक्ष्य मे नदी की भूमि होने से ऐसी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी या गैर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। जिससे दावा चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है। यह भूमि मासी बांध/नदी की भूमि है, जो राज्य सरकार द्वारा मासी बांध बनने से पहले नियमानुसार अवाप्त की जा चुकी थी एवं किसानों को भूमि की एवज में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा चुका था। इस कारण अवाप्त शुदा भूमि पर जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ/सिंचाई विभाग के अधिकार एवं आधिपत्य की होने से किसी व्यक्ति को या उन्ही काश्तकारों को जिनको कि मुआवजा दिया जा चुका है। ऐसी भूमि पर काबिज रहने या काश्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीगण के नाम यह जमाबंदी में गैर खातेदारी अंकित की हुई है या किसी भी आदेश से गैर खातेदारी अंकित की गई है तो ऐसा आदेश से गैर खातेदारी अंकित की गई है, तो ऐसा आदेश एवं जमाबंदी का अंकन प्रथम दृष्ट्या ही कानून के खिलाफ हैं तथा धारा 16 राज.टि.एक्ट के विपरित होने से ऐसे अंकन की कोई विधिक मान्यता नहीं है तथा ऐसे नाजायज अंकन के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का अधिकार वादीगण को प्राप्त नहीं है। दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को उक्त वर्णित भूमि के बारे में जब

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तो उनको तहत् कानून इस न्यायालय या किसी भी न्यायालय द्वारा नदी, बांध, तालाब या अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर काबिज रहने या काश्त करने लिए संरक्षण प्राप्त नहीं हैं। उनको किसी भी प्रकार से अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध भी दावा लाने का अधिकार नहीं है तथा दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को विधि द्वारा दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा नुमाईशी/गैर कानूनी जमाबंदी के आधार पर मासी बांध/नदी की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि पर काबिज रहकर काश्त करने का अधिकार नहीं है। वादीगण को किसी प्रकार बिनाय दावा प्राप्त नहीं है एवं दावा करने का वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। जिससे यह दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 27 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही में अमल लायी गई। है।

वादपत्र, जवाब तथा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक बिन्दु कायम किये गये। जो इस प्रकार हैः—

1. आया भूमि ख0न0 664 रकबा 01—06 बीघा व ख0न0 674 रकबा 01—13 बीघ वाके ग्राम नोरंगपुरा का वादीगण गैर खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों से कोई वास्ता नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे। वादीगण
2. आया वादीगण भूमियो के उपयोग उपभोग से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जावे। वादीगण
3. आया प्रतिवादीगण वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है। भूमि मासी बांध की है। जिसमें वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादीगण को खातेदारी या गैर खातेदारी उत्पन्न नहीं होते हैं। वाद चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण
4. आया प्रतिवादीगण वादीगण की भूमियां नही है। अवाप्त की भूमियां है। सिंचाई विभाग के नाम हैं तथा गैर खातेदार है। वादीगण वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। वाद चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण

तनकी कायम कर वादी की साक्ष्य ली गई। प्रतिवादीगण के लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गई। वादी श्योजी ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.—1 की जिरह में कथन किया कि नवरंगपुरा गांव के पास मांसी बांध है। बांध बनाने के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण की होगी। इस बाबत् मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत हैं कि बांध बनाने के लिए हमारी पैत्तृक भूमि को अधिग्रहण किया

उप खण्ड अधिकारी
बीपलू (टोंक)

हो। उक्त भूमि जन्म से पहले हमारी खातेदारी में चली आ रही हैं। जमीन पहले सिंचाई विभाग के नाम दर्ज थी। हमने मुआवजा वापस जमा करा दिया है। यह कहना गलत हैं कि हमने रसीद पेश नहीं की हो बल्कि हमने रसीद पेश की हुई है। उक्त भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं हैं बल्कि जमीन हमारे नाम गैरखातेदारी दर्ज हैं। यह कहना गलत हैं कि मासी बांध भरने पर हम काश्त नहीं करते हैं। बल्कि काश्त करते हैं। यह कहना गलत है कि बांध के भराव के बाद हमारी जमीन में पानी भरता है।" किशनलाल पुत्र माधोलाल गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू ने अपने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू. 02 की जिरह में कथन किया कि "उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का है। उक्त वाद 17–18 व्यक्तियों के विरूद्ध पेश किया है। यह कहना गलत हैं कि यह जमीन बांध के भराव में डूबती हैं बल्कि यह खाली रहती है। मासी बांध सिंचाई विभाग का है। यह सही हैं कि सिचाई विभाग ने इस जमीन को अधिग्रहण कर लिया था परन्तु यह इनके बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन है। यह कहना गलत है कि लोग मदाखलत नहीं करते हैं। बल्कि परेशान करते है।" बन्ना पुत्र सुखदेव जाति जाट निवासी नोरंगपुरा तह0 पीपलू ने शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–4 की जिरह में कथन किया कि "मासी बांध सिचाई विभाग का है। जिससे सिंचाई होती है। यह बांध सरकारी नहीं है। काश्तकारो का भी हैं। यह कहना गलत हैं कि बांध भरते ही जमीन डूब में आती है। बल्कि खाली रहती है। बांध को बनाते समय सबको मुआवजा दिया था। परन्तु इन्होने मुआवजा वापस जमा करा दिया। यह कहना गलत हैं कि वह सिंचाई विभाग की खातेदारी में है। बल्कि काश्तकारो की खातेदारी में है।" एक अन्य शपथ पत्र पी.डब्ल्यू.–5 रंगलाल पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा ने अपनी जिरह में बताया कि "उक्त वाद स्थायी निषेधाज्ञा का हैं। यह कहना गलत हैं कि जमीन बांध के भराव में डूबती है। बल्कि उक्त जमीन बांध के भरने के बाद भी काश्त होती है। सिंचाई विभाग ने इस जमीन को अधिग्रहण कर लिया था, परन्तु यह जमीन इनके बाप दादाओं की है। यह कहना गलत हैं कि यह लोग इनको परेशान नहीं करते है। बल्कि यह लोग इनकी अन्य खातेदारी भूमि को काश्त करने में परेशान करते है। यह कहना गलत हैं कि श्योजी वगै0 का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि यह जमीन श्योजी वगै0 की है।

बावजूद तामिल उपस्थिति नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 27 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादीगण की साक्ष्य ली गई प्रतिवादी गण को साक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिए जाने तथा कोस्ट राशि पर अंतिम अवसर दिए जाने के उपरान्त भी वादीगण उपस्थित नहीं होने के कारण साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु अनेक अवसर देने के बाद दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 26 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 3 नियम 4(2) पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में पेरवी हेतु कोई हिदायत नहीं दी गई है। अतः प्रतिवादीगण को पुनः समन तलब किया जाकर अंतिम निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जावे। किन्तु अधिवक्ता द्वारा उनके मुवक्किल को इस बाबत् सूचित करने का कोई सूचना पत्र अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः पत्रावली में आदेश दिनांक 16.03.2022 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 3 नियम 4(2) खारिज किया जा कर अधिवक्ता

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

प्रतिवादीगण को विचाराधीन वाद से प्रत्याहरण की अनुमति नहीं दी गई। अधिवक्ता को प्रतिवादीगण को आगामी तारीख पेशी की सूचना देते हुए तामिल कराए गए सूचना पत्र की प्रति पेश करने अथवा वाद के निवारण में विधिवत रूप से भाग लेने के निर्देश दिए गए। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द करने के बाद दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण की अनुपस्थित रहने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई तथा वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 28 तहसीलदार पीपलू की तरफ से बहस एक पक्षीय सुनी गई।

वाद में कायम किये गये विवाद्यक बिन्दुओं पर अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताय कि भूमि आराजी ख0न0 664 रकबा 01–06 बीघा, ख0न0 674 रकबा 01–13 बीघा वाके ग्राम नोरंगपुरा पटवार हल्का नोरंगपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका अंकन खाता संख्या 175 वाके ग्राम नोरंगपुरा तह0 पीपलू जमाबंदी संवत् 2070–73 में हो रखा हैं। जिसके वादीगण तन्हा रिकॉर्डेड गेर खातेदार काबिज काश्तकार मालिक, स्वामी है। वादीगण उपरोक्त आराजीयात पर बहैसियत मालिक, स्वामी, गैरखातेदार के कदीम से काबिज चले आ रहे हैं और वादीगण अपनी जमीन को बहैसियत गैर खातेदार काश्तकार के काबिज होकर भूमि को काश्त करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात से प्रतिवादीगण का दूर का भी कोई संबंध व सरोकार नहीं है। किन्तु उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कमजोर होने व प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की उक्त भूमियों में उसके कब्जे काश्त में मजामहत करते है तथा आये दिन वादीगण से बिना किसी कारण के लडाई झगडा करते है। वादीगण की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रतिवादीगण वादीगण को अपनी उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात में फसल काश्त करने, बोने, काटने व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है। इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाये कि वे वादीगण की उक्त आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे। फसल काश्त करने, काटने व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। बांध भरने के बाद भी वादीगण की भूमि खाली रहती है तथा डूब क्षैत्र में नहीं आती है। भूमि सिंचाई विभाग के नाम दर्ज नहीं है तथा विभाग भूमि पर दावा आधारहीन है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 की मंशा अनुसार प्रत्येक अभिधारी को अपने कब्जे के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। वादीगण द्वारा उनके द्वारा धारित तथा कब्जे की गैर खातेदारी में दर्ज विवादित भूमि के निर्धारित लगान का प्रतिवर्ष नियमित रूप से अदा किया जाता है। अतः प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलदाजी नही करने हेतु पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 28 तहसीलदार पीपलू की तरफ से पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया की विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में तलाब पेटे की भूमि है जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जाने के कारण वादी के कोई हक व अधिकार नहीं है। वादी को गैरखातेदार होने के कारण राज्य सरकार तथा भूमिधारी को पाबन्द करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

उक्त वाद में अधिवक्ता वादीगण की बहस, वादीगण की साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक बिन्दु निर्णित की गई। जो निम्नानुसार है:-

1. आया भूमि ख0न0 664 रकबा 01-06 बीघा व ख0न0 674 रकबा 01-13 बीघ वाके ग्राम नोरंगपुरा का वादीगण गैर खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों से कोई वास्ता नहीं है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का अधिकारी है कि वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करे।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 प्रदर्श-1 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1-06 बीघा तथा 674 रकबा 1-13 बीघा ग्राम नोरंगपुरा वादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरण संख्या 760 दिनांक 28.11.2016 द्वारा उक्त भूमि में वादीगण के विरासत का नामान्तरण भी स्वीकृत कर दर्ज किया गया है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070-73 प्रदर्श-3 अनुसार खसरानम्बर 664 व 674 में सरसों की फसल के रूप में काश्त दर्ज है। स्वतंत्र गवाहों तथा वादी श्योजीराम के बयानों से भी वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा जाहिर होता है। अतः इस प्रकार वादीगण विवादित भूमि से सम्बन्धित होने के कारण प्रतिवादीगण को कब्जे काश्त में मजामहत नहीं करवाए जाने हेतु पाबन्द करवाने के हकदार है। इस प्रकार यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. आया वादीगण भूमियो के उपयोग उपभोग से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द कराया जावे।

जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 प्रदर्श-1 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1-06 बीघा तथा 674 रकबा 1-13 बीघा ग्राम नोरंगपुरा वादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070-73 प्रदर्श-3 अनुसार खसरा नम्बर 664 व 674 में सरसों की फसल के रूप में काश्त दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार, टोंक के निर्णय दिनांक 30.06.1989 जिला कलक्टर, टोंक के प्रकरण संख्या 19/90 में निर्णय दिनांक 05.02. 1991 (प्रदर्श-4) में अपील को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को विवादित भूमि से भविष्य में बेदखल नहीं करने तथा गैर खातेदारी का नियमानुसार देने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है। जिला कलक्टर, टोंक के उक्त निर्णय के अनुक्रम में की गई कार्यवाही अथवा अपील आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रतिवादीगण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस प्रकार उक्त विवाद्यक बिन्दू वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. आया प्रतिवादीगण वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है। भूमि मासी बांध की है। जिसमें वादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादीगण को खातेदारी या गैर खातेदारी उत्पन्न नहीं होते हैं। वाद चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1–06 बीघा तथा 674 रकबा 1–13 बीघा ग्राम नौरंगपुरा वादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–3 अनुसार खसरा नम्बर 664 व 674 में सरसों की फसल के रूप में काश्त दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार, टोंक के निर्णय दिनांक 30.06.1989 जिला कलक्टर, टोंक के प्रकरण संख्या 19/90 में निर्णय दिनांक 05.02.1991 (प्रदर्श–4) में अपील को स्वीकार करते हुए प्रार्थी को विवादित भूमि से भविष्य में बेदखल नहीं करने तथा गैर खातेदारी का नियमानुसार देने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है। जिला कलक्टर, टोंक के उक्त निर्णय के अनुक्रम में की गई कार्यवाही अथवा अपील आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना प्रतिवादीगण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इस प्रकार यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण वादीगण की भूमियां नही है। अवाप्त की भूमियां है। सिंचाई विभाग के नाम हैं तथा गैर खातेदार है। वादीगण वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है। वाद चलने योग्य नहीं है। खारिज किये जाने योग्य है।

जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्ष 1 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1–6 बीघा तथा 674 रकबा 1–13 बीघा ग्राम नौरंगपुरा वादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070–73 प्रदर्ष 3 अनुसार खसरा नम्बर 664 व 674 में सरसों की फसल के रूप में काश्त दर्ज है। जिला कलक्टर, टोंक का निर्णय दिनांक 05.02.2021 वादीगण के पक्ष में हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सिंचाई विभाग का नाम दर्ज नहीं है। वादीगण काश्तकारी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार गैर खातेदार अभिधारी श्रेणी का है। इस प्रकार उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

हमने बहस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 28 पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवाद्यक बिन्दू के विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 664 रकबा 1–06 बीघा तथा 674 रकबा 1–13 बीघा ग्राम नौरंगपुरा वादीगण के नाम गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070–73 प्रदर्ष 3 अनुसार खसरा नम्बर 664 व 674 में सरसों की फसल के रूप में काश्त दर्ज है। जिला कलक्टर, टोंक का निर्णय दिनांक 05.02.2021 वादीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। संलग्न जमाबंदी अनुसार खसरा नम्बर 664 रकबा 1–06 बीघा का लगान 3.25 रूपये तथा खसरा नम्बर 674 रकबा 1–13 बीघा का लगान 4.13 रूपये निर्धारित है, जिसका संदाय वादीगण द्वारा किया जाता है। यद्यपि इस दावे के माध्यम से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। दावा धारा 92–ए तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 27 को जरिए स्थायी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 1–06 बीघा व ख0न0 674 रकबा 1–13 बीघा वाके ग्राम नोरंगपुरा में प्रतिवादी संख्या 01 ता 27 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा के लिए पाबन्द किया जाता हैं कि वे उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग में मजामहत एवं मदाखलत नहीं करे। डिक्री जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)